न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

अपील संख्या 71/2017

अपीलांट	बनाम	**रेस्पोडेंट**
बांकाराम पुत्र मांगीलाल प्रजापत निवासी चक धोलका जालीपा तहसील,बाड़मेर		लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

निर्णय दिनांक 22.01.2018

1. अपीलांट से यह अपील लोक सूचना अधिकारी–अपर कलक्टर,बाड़मेर से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर,बाड़मेर को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन पेश कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित जालीपा लिग्नाईट परियोजना में भूमि अवाप्ति से संबंधित सूचना चाही गई थी। अपीलांट का यह कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर,बाड़मेर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिये अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया। जवाब में यह बताया कि वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।
4. हमने अपील पत्रावली एंव रेस्पोडेंट से प्राप्त जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अपर कलक्टर, बाड़मेर से प्राप्त जवाब अनुसार वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है।अतः अपीलांट को उसके द्वारा आवेदित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। वस्तुतः अपीलांट ने उक्त सूचना प्रेषण के उपरान्त किसी प्रकार का कोई प्रतिकार प्रेषित नहीं किया है और अपील पेश करने के पश्चात् अपना पक्ष रखने के लिये उपस्थित नहीं हुए है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

5. इस आलोक में, वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं देखते हुए,यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपीलांट की अपील उक्तानुसार खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाडमेर